

न्यायालय तहसीलदार राजाखेडा (धौलपुर)

पत्रावली 67
19

निर्णय दिनांक 10/10/17

रिपोर्ट पटवारी हल्का राजम द्वारा प्रस्तुत की गई । प्रकरण राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर होकर अतिकमी को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 23.9.17 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई । आवाज लगवाई गई गैर सायल उपस्थित / अनुपस्थित रहा संक्षिप्त में विवरण निम्नप्रकार है कि पटवारी हल्का राजम द्वारा इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि गैर सायल शमर पुत्र गुरुकिंद कौम शिवाय निवासी विदेह तहसील राजाखेडा ने आराजी ख0न0 515 किस्म राजम रकवा 3.10 बांके ग्राम विदेह पर राजम की अतिकमण कर लिया है प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को जरिये नोटिस से तलब किया गया । गैर सायल उपस्थित / अनुपस्थित रहा। कोई सबूत व साक्ष्य पेश नहीं किया गया । तत्पश्चात रिपोर्ट पटवारी हल्का को अवलोकन किया तो पाया गया कि अतिचारी का अतिचार सिद्ध होता है।

अतः राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिचारी को उक्त आराजी से बेदखल किया जाता है शरह लगान 1400 की 50 गुनी से शास्ति राशि 700 रूपये आरोपित की जाती है। भू0 अभिलेख निरीक्षक / पटवारी हल्का को लिखा जावे। टी0आर0ए0 का मांग कायमी हेतु लिखा जाकर पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुल न्यायालय सुनाया गया।

पत्रावली नं० 700
पृष्ठ सं० 33
रकम सं० 90
दिनांक 6/12/17
TRA
राजम

तहसीलदार
राजाखेडा